

Annexure-I

273 (नि०) ।
19/03/2021

“मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के तहत सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र)

आवेदक/आवेदिका का नाम :—

पिता/पति का नाम :—

माता का नाम :—

स्वअभिप्राणित फोटो
(तिथि सहित)

जन्म तिथि :—

(नोट— नियोजनालय में निबंधन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष) (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।)

लिंग (पुरुष/महिला) :—

कोटि :—

विशेष कोटि (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग) :— हाँ/नहीं (यदि हाँ साक्ष्य संलग्न करें)

नियोजनालय का नाम/निबंधन संख्या एवं निबंधन की तिथि :—

स्थायी पता (पिन कोड सहित) :—

वर्तमान पता (पिन कोड सहित) :—

निवास/अधिवास (domicile) (यदि हाँ तो सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण—पत्र संलग्न) :—हाँ/नहीं

मोबाइल सं० :—

ई—मेल :—

आधार सं० :—

आधार लिंक बैंक खाता सं० :—

बैंक का नाम :—

IFSC कोड :—

शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न) :—

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विविवो का नाम	उत्तीर्ण वर्ष एवं माह	प्राप्तांक	प्रतिशत	विषय

तकनीकी योग्यता :— राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई०टी०आई०, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए (प्रमाण पत्र संलग्न) :—

शपथ—पत्र

1. झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (domicile) हूँ।
2. किसी रोजगार/स्वरोजगार से नहीं जुड़ा हूँ।
3. किसी न्यायालय से किसी अपराध में सजा प्राप्त नहीं किया हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी शत प्रतिशत सही है। यदि गलत पाया गया तो मेरे ऊपर न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर